कृषि इनपुट अनुदान योजना-(2025-26) रबी

रबी 2025-26 अंतर्गत मार्च, 2026 के तीसरे-चौथे सप्ताह में आंधी -तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि के फलस्वरूप हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट
आवेदन प्रपत्र |

** आवश्यक जानकारी (आवेदक आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें)

** किसान परिवार के आवेदक को आवेदन देने के लिये OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिये आवश्यक एवं गोपनीय है|

आवेदन करने से पूर्व कृपया इस लिंक पर क्लिक कर अपने पंचायत का नाम सूचि से जांच ले|
1. आवेदन प्राप्त की तिथि 10 अप्रैल 2026 से है| अंतिम तिथि के लिए इंतजार करें |

2. यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि) तक के लिए एक किसान परिवार (पति+पत्नी+अवयस्क बच्चे) को देय है |

3. परिवार विवरणी आधार से सत्यापित किया जायेगा| परिवार विवरण की प्रविष्टि अनिवार्य है |

4. एक पंजीकरण से आवेदक (शाश्वत/बारहमासी फसल, गेहूँ, रबी दलहन, रबी तेलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे) में हुए क्षति का लाभ ले सक

5. किसान का प्रकार "स्वयं (भू-धारी)" होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (वर्ष 2022-23 से अबतक/गत तीन वर्ष जमीन रसीद या अद्यतन एल.पी.सी),"वास्
पत्र तथा "वास्तविक खेतिहर + स्वयं (भू-धारी)" के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है | स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनल

6. स्वयं (भू-धारी) के लिए वंशावली दस्तावेज अमान्य है |ऐसी स्थिति में आवेदन वास्तविक खेतिहर के रूप में करें|

7. कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है | योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगी|
प्रविष्टि करें |

आवेदन करें